न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — **श्री बी.एल कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्टस	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टस**
1.अजसीराम पुत्र नेताजी फौत के कायम मुकाम:-		1.काला पुत्र दूदा
1/1.गंगादेवी पत्नि अजसीराम		2.मु.पाबी पत्नि दूदा
1/2.जोधाराम पुत्र अजसीराम		3.भुपा पुत्र रायचंद
1/3.होती पुत्र अजसीराम		4.ईश्वर पुत्र रायचंद
1/4.इन्द्रा पुत्री अजसीराम		5.श्रवण पुत्र रायचंद
1/5.समु पुत्री अजसीराम		6.मु.मोरी देवी पत्नि रायचंद
क्रम संख्या 1/3 से 1/5 नाबालिग		7.छगन पुत्र मीठीया
जरिए कुदरती वलिया माता(1/1		8.नरसी पुत्र मीठीया
गंगादेवी पत्नि अजसीराम) तमाम		9.आईदान पुत्र नरसिंगा
जातियान कलबी निवासी बी.ढाणी		10.सगाराम पुत्र नरसिंगा
तहसील सांचोर जिला जालोर		11.वसाराम पुत्र नरसिंगा
2.नेबाराम पुत्र नेताजी		12.लसा पुत्र चिमनीया
3.भावाराम पुत्र नेताजी		13.रमेश पुत्र रायमल
4.वीभा पुत्र तलसा		14.मु.ओखी देवी पत्नि रायमल
5.हीरा पुत्र तलसा		15.सतीया उर्फ पिन्टु पुत्र छगन
6.चैना पुत्र तलसा तमाम जाति कलबी		16.मु.रेशमादेवी पत्नि छगन
साकिनान बी ढाणी, तहसील सांचोर		17.भारता पुत्र डामरा उर्फ
जिला जालोर		डामरिया
7.राजी देवी पत्नि मफाराम जाति		18.बाबू पुत्र डामरा उर्फ डामरिया
कलबी साकिन लालपूर तहसील		19.मंगाला पुत्र हरीया
सांचोर जिला जालोर		20.रमेश पुत्र हरीया
		21.मु.जेवादेवी पत्नि हरीया
		22.मगना पुत्र वीरा
		23.पारसा पुत्र वीरा तमाम जाति
		भांबी (मेघवाल) निवासीगण सांचोर
		तहसील सांचोर जिला जालोर
		24.तहसीलदार (भूमिधारी) सांचोर
		जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील — **03/2016**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

1-श्री त्रिलोकचंद मेहता/श्री फरमानअली अभिभाषक अपीलान्टस

2-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8, 22, 23

3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.03.2018

1.अपीलान्टस ने यह अपील तहसीलदार सांचोर के आदेश दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम बी ढाणी सांचोर के नामान्तरकरण संख्या 426 पर पारित किया गया है।

2.अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 21 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय से

Sdl-

संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलांट 1 से 6 व रेस्पोडेन्ट पूर्व खातेदारो के वारिशान है इस कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। राज्य सरकार के योजना के अनुसार लोक अदालत की भावना से केवल उन्ही प्रकरणो को देखना था। जिसमें पक्षकारो की आम सहमति से दोनो पक्षकार सहमत होने पर व राजीनामा पेश करने पर ही राजीनामा के अनुसार आदेश पारित करना था। अपीलाधीन म्यूटेशन के कॉलम 14 में जो म्यूटेशन भरने का आधार बताया उसमें संबंधित न्यायालय के निर्णयो का उल्लेख किया है। म्यूटेशन स्वीकृत करने के समय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक मुख्यालय सांचौर के वाद संख्या 172/81 निर्णय दिनांक 03.03.1984 को होना बताया है। जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 30.12.1991 होना बताया तत्पश्चात सिविल न्यायालय सांचौर का वाद संख्या 31/2004 निर्णय दिनांक 12.10.2015 होना बताया तत्पश्चात तहसीलदार सांचौर का आदेश पत्र दिनांक 04.12.2015 की पालना में बताया।उपरोक्त तमाम न्यायिक निर्णयो की पालना करने के लिये भी लिमिटेशन एक्ट में म्याद दी हुई है। सहायक जिलाधीश सांचौर प्रथम न्यायालय है जहां वर्ष 1984 में वाद का निर्णय हुआ तत्पश्चात राजस्व अपील अधिकारी के यहां वर्ष 1991 में निर्णय हुआ। ऐसी स्थिति में सहायक जिलाधीश सांचौर के निर्णय की पालना वर्ष 1996 तक की जा सकती थी। यदि राजस्व अपील न्यायालय के निर्णय तक की तारीख सम्मिलित कर देवे तो भी वर्ष 2003 तक ही की डिक्री पालना की जा सकती थी। माफिक म्याद अधिनियम के तहत डिक्री की पालना की म्याद 12 साल से अधिक नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुये कानून से परे जाते हुये अपीलाधीन म्यूटेशन को स्वीकृत किया है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलाधीन म्यूटेशन में विभिन्न निर्णयो का उल्लेख है जिससे स्पष्ट रूप से रोषित है कि पक्षकारो के बीच विवाद है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने के पूर्व अपीलांट को माफिक कानून नोटिस देकर सुनवाई करना आवश्यक था लेकिन अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार करने के पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जो न्यायिक सिद्वान्तो के विपरित है तथा सिविल न्यायालय सांचौर के निर्णय के विरूद्व अपर जिला न्यायालय भीनमाल के समक्ष अपील चल रही है। रेस्पोडेन्ट ने तथ्य छिपाकर एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने सिविल न्यायालय में अपील चल रही है या नहीं इस बाबत किसी प्रकार की जानकारी लेने की चेष्ठा नहीं की। किसी भी वाद या अपील के दौरान राजस्व रेकर्ड में तब्दीली जरिये म्यूटेशन नहीं करने बाबत राजस्व मंडल ने काफी निर्णय पारित कर रखे है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत का दुरूपयोग करते हुये व निर्देशो की पालना न करते हुये अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार किया है जिससे म्यूटेशन निरस्त योग्य है। वाद में अपीलांट ने स्पष्ट कथन किया है कि प्रथम सैटलमेन्ट के पूर्व व प्रथम सैटलमेन्ट के वाद भी अपीलांट के पूर्वज राणाजी के खातेदारी इन्द्राज दर्ज है तथा उक्त इन्द्राज संवंत 2021 तक नियमित रहने का भी कथन किया है तथा खातेदारी होने से कब्जा भी राणाजी का है तथा राणाजी के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिशान काबिज हुये तथा काबिज है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो के हक में हुई डिक्री की पालना में कब्जा अपीलांट से प्राप्त नहीं किया है तथा रेस्पोडेन्टस का कब्जा प्राप्ति का वाद भी अब म्याद बाहर हो चुका है।

sdl—

लोक अदालत में अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने के पूर्व कब्जे संबंधी किसी प्रकार की जांच नही की गई। अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात करने के लिये अपीलांट का कब्जा होने के उपरांत भी एवं अपीलांट को बेदखल करने की म्याद भी जाने की जानकारी होने के बाबजूद भी अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात करने के लिये अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य है तथा अपीलाधीन म्यूटेशन आड में उनकी खातेदारी बताई जा सके व उनका कब्जा बताया जा सके। म्यूटेशन स्वीकृत करने के पूर्व कब्जे के संबंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देना चाहिये था तथा आस पास के लोगो के बयान लेने चाहिये थे अर्थात कब्जे के संबंध में आवश्यक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही उचित आदेश पारित करना न्यायसंगत था। पटवारी हल्का ने सही तथ्यो को छिपाते हुये अपीलांट का कब्जा नहीं बताते हुये अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार करवाया है। अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने के समय आवेदन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया स्पष्ट नहीं किया है क्योकि अपीलाधीन म्यूटेशन मृत व्यक्तियो के हक में स्वीकार किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्व या हक में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश शून्य आदेश है। अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात किया गया है तथा भविष्य में अपीलाधीन म्यूटेशन के आधार पर अन्य और म्यूटेशन स्वीकृत किये जा सकते है। म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व विवादित खसरा नंबर की आराजी का बेचान भी हुआ है तथा वर्तमान खातेदार अपीलांट नंबर 7 है जो वाद में पक्षकार नहीं था अपीलांट नंबर 7 को भी अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करने के पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट नंबर 7 खरीद के पश्चात मौके पर काबिज है। जिसके संबंध में भी किसी प्रकार की जांच अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने के पूर्व नहीं की गई जिससे भी अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है। अत: अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8, व 22, 23 के अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 426 माननीय सहायक जिलाधीश भीनमाल केम्प सांचौर के निर्णय दिनांक 03.03.1984 तथा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 30.12.1991 एवं वरिष्ठ सिविल न्यायालय सांचौर के निर्णय दिनांक 12.10.2015 की पालना में उक्त नामान्तरकरण भरा गया है जो विधिवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन न्यायालयो के आदेश की पालना में भरा गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया।

अपीलांटस द्वारा मौजा बी ढाणी सांचोर के नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दंडनायक भीनमाल मुख्यालय सांचोर के वाद संख्या 172/81 निर्णय दिनांक 03.03.1984 तथा राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के वाद संख्या 52/89 निर्णय दिनांक 30.12.1991 एवं न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायालय सांचोर के वाद संख्या 31/2004 निर्णय दिनांक 12.10.2015, तहसीलदार सांचोर के पत्रांक/भू.अ./15/2780 दिनांक 04.02.2015 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा

Sdl—

खोला गया।जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.12.2015 को स्वीकृत किया गया है।

चूंकि नामान्तरकरण अपील एक फिस्कल प्रोसेडिंग है। जिसके जरिये किसी के हक हकूक निर्धारित नही किये जा सकते है। अपीलांटस के अभिभाषक द्वारा अपील के संलग्न फेहरिस्त दस्तावेज के साथ प्रस्तुत फोटो प्रतियो अनुसार अपील विचाराधीन होना बताया है। परंतु प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार उक्त अपील वर्ष 2015 में दायर होना पाया जाता है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालयो के निर्णय अनुसार दिये गये आदेशो की पालना स्वीकृत किया जाना पाया गया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है। जहां तक 12 वर्ष का प्रश्न है मूल निर्णय 1984 में हुआ था। उसके अपील का निर्णय 1991 में हुआ और इसी प्रकरण से संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय का निर्णय 2015 में हुआ।

अत: उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण विधी सम्मत पाये जाने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 23.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर